पत्रांक–7/पद सृजन–15–10/2014सा0प्र0........................./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

प्रेषक,

मो0 जफर रकीब,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक...........................

विषयः– **शेखपुरा एवं किशनगंज न्यायमंडलों के गठन हेतु रू0 87,71,005/– (सतासी लाख इकहत्तर हजार पाँच) के वार्षिक अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 08 (आठ) पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है निबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–9900 दिनांक 18.02.2015 द्वारा शेखपुरा एवं किशनगंज में न्यायमंडलों की स्थापना हेतु कुल 08 (आठ) पदों के निम्नरूपेण सृजन की अनुशंसा प्राप्त थीः–

क्र0 सं0	**पद का नाम**	**संवर्ग**	**सृजित होने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या**		
			शेखपुरा	किशनगंज	कुल
1	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु)	01	01	**02**
2	अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी	सिविल जज (वरीय कोटि)	01	01	**02**
3	मुंसिफ	सिविल जज (कनीय कोटि)	01	00	**01**
4	न्यायिक दंडाधिकारी		02	01	**03**
		कुल	**05**	**03**	**08**

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त दोनों न्यायमंडलों के गठन हेतु निबंधक, प्रशासन के पत्रों सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में रू0 87,71,005/– (सतासी लाख इकहत्तर हजार पाँच) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 08 (आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त पदों का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लधु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः—व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(मो0 जफर रकीब)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–10/2014सा0प्र0......9539...../पटना–15, दिनांक..02.7.15........

प्रतिलिपिः—वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.05.2015 के मद संख्या–08 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/7/15

सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–10/2014सा0प्र0

शेखपुरा एवं किशनगंज में माह मार्च, 2015 के अंत तक जिला न्यायालयों को आरंभ किये जाने हेतु पदों का सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं0 भत्ता@ 107 %	योग (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग–जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु)	02	51550–1230–58930–1380–63070	57310/–	13,75,440/–	14,71,721/–	28,47,161/–
2.	अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संवर्ग– सिविल जज (वरीय कोटि)	02	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	46770/–	11,22,480/–	12,01,054/–	23,23,534/–
3.	सिविल जज (कनीय कोटि)	04	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	36235/–	17,39,280	18,61,030/–	36,00,310/–
	कुल	08				योग	87,71,005/–

कुल वार्षिक व्यय का योग – रू0 87,71,005/–(सतासी लाख इकहत्तर हजार पाँच) रूपये मात्र।

नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

1/7/15

(मो0 जफर रकीब)
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SHC-07/VYAY VIVARANI